

भूदान-ग्रामदान आंदोलन

प्रलम्ब के लिये:

[वनिबा भावे](#), [महात्मा गांधी](#), स्वतंत्रता संग्राम, अहसा का दर्शन, स्वशासन ।

मेन्स के लिये:

भूदान-ग्रामदान आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद इसका प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र के एक गाँव ने ग्रामदान अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया ।

ग्रामदान:

■ भूदान आंदोलन:

○ पृष्ठभूमि:

- यह भारत में वर्ष 1951 में [वनिबा भावे](#) द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक- राजनीतिक आंदोलन था ।
- वनिबा भावे, [महात्मा गांधी](#) के शिष्य थे, जिन्हें [गांधीजी](#) ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया ।
- स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने एक बड़ी समस्या है और वर्ष 1951 में उन्होंने [भूदान आंदोलन](#) या [भूमि उपहार आंदोलन](#) शुरू किया ।

○ उद्देश्य:

- उनका उद्देश्य [धनी ज़मींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिये राजी करना](#) था ।
- जब भावे ने गाँव-गाँव घूमकर [ज़मींदारों से अपनी ज़मीन दान करने](#) का अनुरोध किया तो आंदोलन को गति मिली ।
- भावे का दृष्टिकोण [अहसा के दर्शन](#) में नहिती था तथा उनका यह विचार था कि भू-स्वामियों को गरीबों हेतु करुणा एवं सहानुभूति के साथ अपनी भूमि दान करनी चाहिये ।

■ ग्रामदान आंदोलन:

- भूदान आंदोलन का अगला चरण [ग्रामदान आंदोलन](#) या [ग्राम उपहार आंदोलन](#) था ।
- इसका उद्देश्य भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गाँव बनाना था ।
- ग्रामदान आंदोलन के तहत ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि वे अपनी भूमि एक [ग्राम परिषद](#) को दान करें, जो ग्रामीणों को भूमि का प्रबंधन एवं वितरण करेगी ।
- इस आंदोलन को कई राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिला तथा इसे ग्रामीण भारत में भूमि के असमान वितरण की समस्या के समाधान के रूप में देखा गया ।

■ आंदोलन का महत्त्व:

- यह आंदोलन भारत के कई हिस्सों में सफल रहा, [हज़ारों एकड़ भूमि ज़मींदारों द्वारा दान की गई](#) ।
- भूदान-ग्रामदान आंदोलन का भारतीय समाज एवं राजनीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, इसने [भूमिहीनता की स्थिति को कम करने](#), [भूमि का अधिक समान वितरण करने](#) तथा [आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के सशक्तीकरण में मदद](#) की ।
- इसने [समुदाय में सभी को समान अधिकार एवं ज़िम्मेदारियाँ](#) देकर तथा [समुदायों को स्वशासन](#) की ओर बढ़ने हेतु सशक्त बनाकर [प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त](#) किया ।

■ कमियाँ:

- यह दान की गई भूमि तो [अनुपजाऊ या मुकदमेबाज़ी के अधीन](#) होती थी ।
 - साथ ही भूमि के बड़े कर्षकों को दान किया गया था, जबकि भूमिहीनों के बीच बहुत कम वितरित किया गया था ।
- यह उन कर्षकों में सफल नहीं हुआ जहाँ भूमि जोत में असमानता थी ।
- साथ ही यह आंदोलन अपनी क्रांतिकारी क्षमता को उजागर करने में भी विफल रहा ।

ग्रामदान अधिनियम का वर्तमान परदृश्य:

■ विभिन्न राज्यों में ग्रामदान अधिनियम:

- वर्तमान में भारत के सात राज्यों में **3,660 ग्रामदान गाँव** हैं, जिनमें से सबसे अधिक ओडिशा (1309) में हैं।
 - अन्य छह राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।
- सितंबर 2022 में असम सरकार ने राज्य में दान की गई भूमि पर अतिक्रमण का सामना करने हेतु **असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित करके असम ग्रामदान अधिनियम, 1961 तथा असम भूदान अधिनियम, 1965** को नरिस्त कर दिया।
 - उस समय तक असम में 312 ग्रामदान गाँव थे।

■ ग्रामदान अधिनियम की कुछ सामान्य विशेषताएँ:

- गाँव के कम-से-कम 75% भूस्वामियों को ग्राम समुदाय को भूमिका स्वामित्व प्रदान करना देना चाहिये। ऐसी भूमिगाँव की कुल भूमिका कम-से-कम 60% होनी चाहिये।
- दान की गई भूमिका 5% खेती के लिये गाँव में भूमिहीनों में वितरित कर दिया जाता है।
 - ऐसी भूमि प्राप्तकरत्ता **समुदाय की अनुमति के बिना उसे हस्तांतरित नहीं** कर सकते।
- शेष भूमि दाताओं के पास रहती है; वे और उनके वंशज इसका उपयोग कर सकते हैं।
 - हालाँकि वे इसे गाँव के बाहर अथवा गाँव में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते हैं जो ग्रामदान में शामिल नहीं हुआ है।
- ग्रामदान में शामिल सभी काश्तकारों को अपनी आय का 2.5% हस्सिसा समुदाय हेतु देना अपेक्षित है।

■ चर्चाएँ:

- मुख्य रूप से **कानून के खराब कार्यान्वयन के कारण** कई गाँवों में इस अधिनियम की प्रसंगिकता खत्म हो गई है।
- ग्रामदान के तहत कुछ गाँवों में अपनी ज़मीन देने वालों के वंशज नरिशा हैं कि वे गाँव के बाहर अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं **औसतनके अनुसार यह अधिनियम 'विकास वरिधी' है।**

वन संरक्षण में इस अधिनियम का महत्त्व:

- ग्रामदान अधिनियम स्थानीय समुदायों को वनों सहित उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिये सशक्त बनाकर **सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।**
- ग्रामदान अधिनियम के तहत भूमि और अन्य संसाधन समुदाय में नरिहित हैं, जिसका अर्थ है कि **समुदाय के पास यह नरिणय लेने की शक्ति है** कि इन संसाधनों का उपयोग और प्रबंधन कैसे किया जाता है और इस प्रकार उन्हें वन प्रबंधन तथा उनके सतत उपयोग से लाभ मलित है।
- सामुदायिक वन अधिकारों के संदर्भ में ग्रामदान अधिनियम समुदायों को वन भूमि और संसाधनों पर **अधिकारों का दावा करने के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान कर सकता है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'व्यक्तगित सत्याग्रह' में वनिोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? (2009)

- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- पंडति जवाहरलाल नेहरू
- सी. राजगोपालाचारी
- सरदार वल्लभभाई पटेल

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. आचार्य वनिोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलनों के उद्देश्यों की समालोचनात्मक वविचना कीजिये और उनकी सफलता का आकलन कीजिये। (2013)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

